3

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2019-20)

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के पहले प्रतिवेदन (**सत्रहवीं लोक सभा**) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही]

तीसरा प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

तीसरा प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुदानों की मांगों

2019-20

[पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के पहले प्रतिवेदन (**सत्रहवीं लोक सभा**) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही]

10.02.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

10.02.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति (2020-21) की संरचना ..... (iii)

प्राक्कथन..... (iv)

अध्याय-एक प्रतिवेदन.....

अध्याय-दो सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....

अध्याय-तीन सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.....

अध्याय-चार सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है .....

अध्याय-पांच सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं.....

अनुबंध

एक. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की 05.02.2021 को हुई **आठवीं** बैठक का कार्यवाही सारांश

दो. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20) विषयक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री रमेश बिधुड़ी - सभापति

लोक सभा

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्रीमती चिंता अनुराधा
4. डा. रमेश चन्द बिंद
5. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
6. श्री गिरीश चन्द्र
7. श्री तपन कुमार गोगोई
8. श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया
9. श्री संतोष कुमार
10. श्री रोडमल नागर
11. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
12. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
13. श्री एम.के. राघवन
14. श्री चंद्र शेखर साहू
15. श्री दिलीप साईकिया
16. डा. भारती धीरूभाई शियाल
17. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
18. श्री लल्लू सिंह
19. श्री विनोद कुमार सोनकर
20. श्री अजय टम्टा
21. श्री राजन बाबूराव विचारे

राज्य सभा

22. श्री रिपुन बोरा
23. श्री नारायण दास गुप्ता
24. श्रीमती कान्ता कर्दम
25. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार
26. श्री ओम प्रकाश माथुर
27. डा. भागवत कराड़
28. रिक्त
29. श्री के.के. रागेश
30. श्री ए. विजयकुमार
31. चौधरी सुखराम सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी	-	अपर सचिव
2.	**श्री एच. राम प्रकाश**	**-**	**निदेशक**
3.	श्री मोहन अरुमाला	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का सभापति समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राय की अनुदानों की मांगें (2019-20) विषयक समिति के पहले प्रतिवेदन में (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी **तीसरा** प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन 11.12.2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर सरकार के **द्वारा** की गई कार्यवाही उत्तर 09.03.2020 को प्राप्त हुए थे ।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2020-21) ने 05.02.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण अनुबध-दो पर दिया गया है।

5. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि को समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग हेतु उनकी भी सराहना करती है ।

नई दिल्ली; **रमेश बिधूड़ी**

5 **फरवरी, 2021** **सभापति,**

16 **माघ,1942 (शक)** **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ।**

प्रतिवेदन

अध्याय - एक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2019-20)" से संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है, जिसे 11.12.2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

2. इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 14 सिफारिशों/टिप्पणियों से संबंधित की-गई-कार्रवाई टिप्पण 09.03.20 को मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्नवत श्रेणीबद्ध किया गया है:

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश सं. 1,4,5,6,7,8,10,11,12,13 और 14 (कुलः 11)

(अध्याय-दो)

(दो) सिफारिशेंटिप्पणियां/, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए, समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

सिफारिश सं. 9 (कुलः 1)

(अध्याय-तीन)

(तीन) सिफारिशेंटिप्पणियां/, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है:

सिफारिश सं. 2 और 3 (कुलः 2)

(अध्याय-चार)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश सं शून्य (कुलः 0)

(अध्याय-पांच)

3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों के बारे में की गई कार्रवाई टिप्पण और उन सिफारिशों के बारे में अंतिम उत्तर जिनके लिए सरकार द्वारा अंतरिम उत्तर उपलब्ध कराए गए हैं, (अध्याय पांच में शामिल) यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं जाएं।

4. समिति अब उसकी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विचार करेगी।

सिफारिश संख्या 1

बजटीय आवंटन का विश्लेषण्

5. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थीः

"समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का बजट कुल 42901.49 करोड़ रुपये का आवंटन दर्शाता है। 41234.18 जिनमें से का आवंटन करोड़ रुपए राजस्व मद और 1667.31 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में है। वर्ष 2019-20 के लिए एलपीजी कनेक्शनों हेतु डीबीटी के तहत बजट अनुमान 29500 करोड़ रुपए और एनई क्षेत्र (केरोसीन) सहित देय अन्य राजसहायता 4058 करोड़ रुपए है। गरीब परिवारों (पीएमयूवाई) के लिए, एलपीजी कनेक्शन के तहत आवंटन 2724 करोड़ रुपए और फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजनाओं के तहत यह 2758.71 करोड़ रुपए है। राज्य सरकारों को विभेदक रॉयल्टी के सदाय हेतु 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के दौरान, 37.87 करोड़ रुपये और 31.82 करोड़ रुपये की राशि क्रमशः पीएमजेआई वन योजना और आईआईपीई के लिए आबंटित की गई है। पूंजीगत खंड में 1623.26 करोड़ रुपए को राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के लिए ब.अ. 2019 20 के रूप में आवंटित किया गया है।

2018-19 में वास्तविक पर ब.अ. 2019-20 के आवंटन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि एलपीजी के लिए शीर्ष डीबीटी के तहत आवंटन में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि फूलपुर-धामरा-हल्दिया परियोजना में 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, पीएमयूवाई के तहत धन का आवंटन 14.88 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जबकि राज्य सरकारों को विभेदक रॉयल्टी का भुगतान 2018- 19 के वास्तविक की तुलना में, 54 प्रतिशत की गिरावट का संकेत देता है। राष्ट्र पूंजीगत खंड के तहत राष्ट्रीय भूकंपीय आवंटन कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2018-19 के वास्तविक से 24.87 प्रतिशत बढ़े हुए आवंटन दर्शाता है।

इसके अलावा, समिति को बताया गया है कि बीको लॉरी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान की दिशा में ब.अ. 2019-20 में 42.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और समिति चाहती है कि निधि के उपयोग के साथ नवीनतम स्थिति को जल्द से जल्द बताया जाए।

समिति ने नोट किया है कि 42901.49 करोड़ रुपये के ब.अ. 2019-20 में वर्ष 2018-19 के दौरान 32370.81 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय रुपये की तुलना में 32.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई

है। समिति ने पाया है कि व्यय में हुई वृद्धि रसोई गैस के लिए शीर्ष डीबीटी के तहत है, जिसमें 13000 करोड़ रुपए आवंटन बढ़ा है जो एलपीजी लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की दिशा में तेल विपणन कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए है। समिति यह देखकर निराश है कि मंत्रालय ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, एलपीजी के लिए डीबीटी के तहत निधियों की आवश्यकता का ठीक से अनुमान नहीं लगाया है। इसके अलावा, समिति का मानना है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, केरोसीन वितरण सुधारों के लिए केंद्र शासित सरकारों को नकद प्रोत्साहन के तहत आवंटन 2 करोड़ रुपये था और निधियों का वास्तविक उपयोग केवल 0.26 करोड़ रुपए हुआ। समिति का सुझाव है कि मंत्रालय को सभी शीर्षों के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग पूरी तरह से करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पूंजी और राजस्व दोनों खंडों के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग कर सकता है।

6. इस संबंध में, मंत्रालय ने निम्नलखित उत्तर दिया:-

			(करोड़ रूपए में)
	बजट अनुमान 2019-20	**संशोधित अनुमान 2019-20**	**29.02.2020 की स्थिति के अनुसार**
राजस्व	41234.18	42282.44	41989.76
पूंजी	1667.31	619.05	400.68
कुल	42901.49	42901.49	42390.44
			98.81% बी.ई.

				(करोड़ रूपए में)
योजना	**वास्तविक 2018-19**	**ब.अ. 2019-20**	सं.अ. **2019-20**	**29.02.2020 की स्थिति के अनुसार व्यय**
1.एलपीजी के लिए डीबीटी	16477.80	29500.00	29627.76	29500.00
2.एनई क्षेत्र (केरोसिन) सहित देय अन्य राजसहायता	4200.00	4058.00	4058.00	4058.00
3.गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस कनेक्शन	3200.00	2724.00	3724.00	3724.00
4.फूलपुरा-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना	1206.60	2758.71*	3104.22*	1505.86
5. राज्य सरकारों को विभेदक	4255.00	1954.00	1962.32	1954.00

रॉयल्टी का भुगतान				
6. प्रधान मंत्री जी-वन योजना	0.00	37.87	0.01	0.00
7. आईआईपीई, विशाखापट्टनम	24.00	31.82	22.28	22.28
8. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम	1300.00	1623.26	575.00	385.68

"वित्त मंत्रालय ने लाभ के सीधा अंतरण-एलपीजी की योजनाओं में 29500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जो कि 2018 19 के वास्तविक से 79 प्रतिशत अधिक है। इस योजना के ब.अ. में यह वृद्धि पिछले वर्ष के अदा न किए गए बकाया का भुगतान करने के लिए है। यह राशि 29.02.2020 तक पूरी तरह से उपयोग की जा चुकी है। फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना की योजना में 1552.11 करोड़ रूपए का आवंटन रखा गया है। यह योजना चालू वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से वित्त पोषित है। ब.अ. में 1206.60 करोड़ रुपए और आरई में 1552.11 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) से प्रदान किया गया है जो कि खाते में बुक एडजस्टमेंट है। 'गरीब घरों को रसोई गैस कनेक्शन' (पीएमयूवाई) की योजना में मांग में, बचत से 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। इसलिए कुल 3724 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। बकाया विभेदक रॉयल्टी घटक की कम देयता के कारण, 1954 करोड़ रुपये के प्रावधान का 'राज्य सरकारों को विभेदक रॉयल्टी के भुगतान' की योजना में रखा है, पिछले वर्ष की तुलना में ब.अ. में अंतर है। इस योजना में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों को देय वार्षिक विभेदक रॉयल्टी के भुगतान के लिए सं.अ. चरण पर 8.32 करोड़ प्रदान किए गए हैं ।

बीको लॉरी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण' के लिए 42.05 करोड़ के प्रावधान में से 15 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

योजनाओं में धन का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा बताई गई सीमा के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, एलपीजी के लिए डीबीटी की योजना में बजट प्रावधान को मांग के लिए ब.अ. की सीमा के अनुसार रखा गया था। केरोसिन वितरण सुधारों के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को नकद प्रोत्साहन के तहत आवंटन किया गया था, लेकिन बिल संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 42901.49 करोड़ रुपए की आवंटित राशि में से, मंत्रालय ने 29 फरवरी, 2020 तक 42390.44 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया है जो ब.अ. का 98.81% है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति की टिप्पणियां

7. विभिन्न बजटीय आवंटन शीर्ष को लेकर मंत्रालय ने अपने उत्तर में जो तर्क दिया था, उसे नोट करते हुए समिति ने पाया है कि मंत्रालय ने अपने बजट अनुमान (2019-20), संशोधित अनुमान (2019-20) में 'पीएम जीवन योजना' और 'नेशनल सिसमिक प्रोग्राम' जैसी महत्वूपर्ण योजनाओं में पाई गई घोर विसंगतियों और वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में हुए वास्तविक व्यय का कोई स्पष्टीकरण न देकर मौन धारण कर लिया है। पीएम जीवन योजना के संबंध में 37.87 करोड़ रुपए के बजट अनुमान प्रावधान और 0.01 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान प्रावधान की तुलना में फरवरी, 2020 तक हुए वास्तविक व्यय को शून्य बताया गया है। एनएसपी के संबंध में, 1623.26 करोड़ रुपए के बजट अनुमान प्रावधान और 575.00 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान प्रावधान की तुलना में फरवरी, 2020 के अंत तक केवल 385.68 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जिससे संशोधित अनुमान प्रावधान के मुकाबले केवल 66.9 प्रतिशत राशि का ही उपयोग हुआ है। साथ ही, समिति ने यह भी नोट किया है कि 'बीको लॉरी लिमिटेड' के संबंध में, बजट अनुमान 2019-20 के दौरान ब्याजमुक्त ऋण के रूप में 42.05 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। तथापि, वित्त वर्ष के अंत तक केवल 15 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया गया है जिससे आवंटित धन का केवल 37.67 प्रतिशत राशि का ही उपयोग हुआ।

उपर्युक्त कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में निर्धारित आवंटन के कम उपयोग के बारे में चिंता जताते हुए, समिति आग्रहपूर्वक इच्छा जाहिर करती है कि मंत्रालय आगे से विभिन्न शीर्षों के तहत बजटीय जरूरतों को इस तरह रखेगा कि प्रस्तावित राशि का वित्त वर्ष के अंत तक अभिप्रेत प्रयोजन के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा। समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि वे अपने संसाधनों की योजना बनाने एवं उनकी प्राथमिकता तय करने को लेकर तार्किक व यथार्थपरक आकलन तैयार करें जिससे कि कालांतर में बेहतर वित्तीय प्रबंधन व वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए सटीक बजटीय प्राक्कलन किया जा सके।

<u>सिफारिश सं. 2</u>

<u>अधिक लाभार्थियों के साथ पीएमयूवाई के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता</u>

8. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थीः

समिति नोट करती है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दवारा वर्ष 2015 के दौरान शुरू की गई, प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे वित्त

वर्ष 2016-17 से शुरू करके तीन वर्ष में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 तक लक्ष्य को संशोधित कर आठ करोड़ कर दिया गया था। समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय/ओएमसीज में सितंबर, 2019 तक आठ करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में, समय से पहले निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय/ओएमसीज के प्रदर्शन से संतुष्ट होने के बाद, समिति को लक्ष्यों के आकलन के बारे में संदेह है। समिति नोट करती है कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, इस योजना के तहत 2724 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय को स्थिति का अधिक तर्कसंगत और यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए और संसाधनों को अनुकूलन करने और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लक्ष्यों को समझदारी से निर्धारित करना चाहिए। समिति ने आगे कहा है कि मंत्रालय/ओएमसी को अपनी प्रशंसा से यहीं नहीं रुक जाना चाहिए और समिति सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान, आगे एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पूरे धन का उपयोग किया जाना चाहिए।

समिति ने ओएमसी द्वारा किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सरकार से पीएमयूवाई योजना के दायरे में, शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को शामिल करने की योजना को व्यापक बनाने का आग्रह किया। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अब सभी पात्र परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के प्रयास करने चाहिए।

9. इस संबंध में, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया

`तेल विपणन कंपनियां प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के बाद प्रतिपूर्ति के लिए पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) दवारा विधिवत सत्यापित बिल जमा करती हैं। सरकार ने पहले ही पीएमयूवाई के तहत लक्ष्य हासिल कर लिया है। पीएमयूवाई के तहत निधि के उपयोग की तुलना में वर्षवार बजट आवंटन निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**बजट आवंटन (करोड़ रूपए में)**	**निधि की प्रतिपूर्ति (करोड़ रूपए में)**
2016-17	2,500	2,500
2017-18	2,251	2,251
2018-19	3,200	3,200
2019-20	2,724*	2,724

* वित्त वर्ष 2019-20 में 2724 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के अलावा वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान में पीएमयूवाई के लिए 2118 करोड़ रूपए की मांग के तहत 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि की भी प्रावधान किया है।

एलपीजी कनेक्शन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी वितरकों को नए एलपीजी कनेक्शन के लिए किसी भी अनुरोध को तुरंत पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति की टिप्पणियां

10. उज्ज्वला योजना को कल्याणोन्मुखी बनाने पर जोर देते हुए समिति ने सरकार से आग्रह किया था कि वे अपनी सीमा के अंदर ही शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन परिवारों को कवर करने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाएं। इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि मंत्रालय देश में सभी अर्ह परिवारों में एलपीजी कनेक्शन देने के अपने प्रयासों को निदेशित करें। तथापि, समति ने मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर में यह पाया है कि इस योजना के तहत सितम्बर, 2019 तक आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के लक्ष्य को हासिल करना अति संतोषप्रद प्रतीत होता है और इस विषय पर योजना के दायरे को बढ़ाने के अपने प्रयासों का उल्लेख न कर इस पर जानबूझकर चुप्पी साध ली गई है। अतः, समिति मंत्रालय के जवाब में उसके टालमटोल वाले रवैये की निंदा करते हुए अपनी सिफारिश को दुहराती है कि शहरी व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन परिवारों को शामिल करने के लिए पीएमयूवाई के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए और मंत्रालय से इस बात के लिए गंभीरता से आग्रह करती है कि वे देश में सभी अर्ह परिवारों में एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के अपने प्रयासों को निदेशित करें।

<u>सिफारिश सं. 3</u>

<u>एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बढ़ाने के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता</u>

11. समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थीः

"समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय/सार्वजनिक उपक्रमो ने पीएमयूवाई योजना के कार्यान्वयन के साथ देश में एलपीजी कवरेज को 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। समिति ने आगे कहा कि

उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर का राष्ट्रीय औसत रिफिल खपत 6.25 सिलेंडर प्रति वर्ष है। तथापि, यह देखा गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी सिलेंडर की औसत रिफिल खपत पिछले एक साल के दौरान 3.08 सिलेंडर है। समिति को सूचित किया गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा कम रिफिल खपत औसत व्यवहार परिवर्तन और कम माँग के समायोजन के कारण हो सकती है। पीएमयूवाई लाभार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, समिति का कहना है कि 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 650/- रुपए का भुगतान भी कम रिफिल औसत का एक कारण हो सकता है। योजना के उददेश्य को पूरा करने और एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने के लिए, समिति का सुझाव है कि मंत्रालय को उच्च राजसहायता के साथ एक अलग योजना पर विचार करना चाहिए ताकि रसोई गैस सिलेंडर पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए सस्ते हो जाएं। समिति यह भी चाहती है कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को एलपीजी सिलिंडर के छोटे आकार जैसे 2 किग्रा, 3 किग्रा और 5 किग्रा के सिलेंडर शुरू करना चाहिए ताकि पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और योजना के उद्देश्य को वास्तव में पूरा किया जा सके। इसके अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पैकेज की कीमत 14.2 किग्रा के सिलेंडर के लिए 650 रुपए है।"

12. इस संबंध में, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दियाः

"पीएमयूवाई लाभार्थियों हेतु रसोई गैस सिलेंडरों को अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार ने राजसहायता योजना को संशोधित किया है । पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए दिल्ली मे एक 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर का वर्तमान (जनवरी, 2020) प्रभावी मूल्य 535.34 रूपए है। इसके अलावा, पीएमयूवाई ग्राहकों को 5 किलोग्राम सिलेंडर के साथ एलपीजी कनेक्शन लेने का विकल्प दिया गया है, साथ ही 14.2 किलोग्राम के बदले मे 5 किलोग्राम सिलेंडर लेने का विकल्प भी दिया गया है।"

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति की टिप्पणियां

13. पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडरों की रीफिल्स बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होते हुए समिति इस बात को दुहराती है कि गत एक वर्ष के दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के राष्ट्रीय औसत रीफिल की तुलना में पीएमयूवाई के तहत सिलिंडरों का यह औसत रीफिल मात्र 3.08 सिलिंडरों का था, जो सामान्य एलपीजी

उपभोक्ताओं और उज्ज्वला लाभार्थियों के बीच वित्तीय सामर्थ्य के भारी अंतराल को दर्शाता है। इस संबंध में, समिति अपने पूर्व के विचार को दुहराती है कि अधिक राजसहायता के साथ एक अलग योजना शुरू की जानी चाहिए जिससे कि एलपीजी सिलिंडर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए वहनीय हो सके। समिति इस बात को भी दुहराती है कि और छोटे आकार के एलपीजी सिलिंडर शुरू किए जाने चाहिए जिससे इस योजना के लाभार्थियों में असमर्थ तबके के लाभार्थियों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो पाए। इसके अलावा, 14.2 कि.ग्रा. के सिलिंडरों की जगह 5 कि.ग्रा. के सिलिंडर शुरू किए जाने के संबंध में मंत्रालय के उत्तर को नोट करते हुए समिति का यह दृढ़ मत है कि 5 कि.ग्रा. का एक सिलिंडर 14.2 कि.ग्रा. के एक सिलिंडर के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय 5 कि.ग्रा. के कम-से-कम तीन सिलिंडर उक्त उपभोक्ताओं को मुहैया कराने के विकल्प होने चाहिए जो पीएमयूवाई के तहत 14.2 कि.ग्रा. के सिलिंडर नहीं खरीद सकते हैं।

सिफारिश सं. 8

राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि

14. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थीः

"समिति ने पाया कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति सरकार द्वारा 2018 में देश में जैव ईंधन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अधिसूचित की गई थी और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोनों पहली पीढ़ी (1जी) के लिए जैव एथेनॉल और जैव-डीजल ईंधनों और दूसरी पीढ़ी (2जी) एथेनॉल और जैव-सीएनजी ईंधन के उपयुक्त वित्त और वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा प्रदान करना रहा है। समिति ने नोट किया है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि को चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.00 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की ईंधन निधि की सांकेतिक राशि आबंटित की गई है ताकि देश में जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधीयन, राजसहायता और अन्य वित्तीय अनुदान दिए जा सके।

समिति ने इस मंत्रालय के राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रम के उद्देश्यों की सराहना करते हुए, सरकार से आशा की कि विभिन्न व्यावहारिक बाधाओं जैसे कि इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम में इथेनॉल की पर्याप्त आपूर्ति के अभाव का समाधान खोजेगी। वे चाहते हैं कि देश में कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार को विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रकार के जैव इंधन के उत्पादन के लिए और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए देश में कई फसलों की

उपलब्धता का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। समिति की इच्छा है कि बड़ी मात्रा में जैव ईंधन का उत्पादन निश्चित रूप से मौजूदा पारंपरिक हाइड्रोकार्बन बढ़ाने के रूप में एक लंबा रास्ता तय करेगा और मंत्रालय को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने और कार्यक्रम को ठीक से वित्त पोषित करने की सिफारिश करेगा ताकि इसे मिशन के तौर पर शुरू किया जा सके।"

15. इस संबंध में, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दियाः

"राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में बी-शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, कृषि अवशेष, चीनी युक्त पदार्थ जैसे चुकंदर, मीठा शर्बत, गेहूं, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे गेहूं, टूटे हुए चावल आदि से एथेनॉल के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2018-19 से अतिरिक्त स्रोत जैसे कि बी-हैवी शीरा, गन्ने का रस, मानव के खाने के योग्य गेहूं और चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, अधिशेष खाद्यान्न और फल और सब्जी कचरे से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है। ईएसवाईः 2019-20 से, सरकार ने इथेनॉल बनाने के लिए अतिरिक्त स्रोतों के रूप में चीनी और चीनी शरबत की अनुमति दी है। इन सभी फीड-स्टॉक को देश में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, एनपीबी-2018 में परिकल्पित है कि कृषि फसल वर्ष के दौरान जब खादयान्नों की अधिक आपूर्ति पर अनुमान लगाया गया है जैसा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्याशित है, राष्ट्रीय जैव इंधन समन्वय समिति के अनुमोदन के आधार पर इन खाद्यान्नों की अधिशेष मात्राओं को इथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति देगी।

राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि में 2020-21 के लिए 1 करोड़ रूपए की सांकेतिक राशि पहले ही रख ली गई है और इस निधि के तौर तरीकों की इस मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति का टिप्पणियां

16. समिति महसूस करती है कि राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति (नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स) के भाग के रूप में राष्ट्रीय जैव-ईंधन कोष (नेशनल बायो-फ्यूल फंड) का गठन फर्स्ट जेनरेशन (1 जी) बायो-इथेनॉल व बायो-डीजल फ्यूल्स और सेकंड जेनरेशन (2 जी) इथेनॉल व बायो-सीएनजी

फ्यूल्स दोनों ही के लिए वित्त व वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराने की एक महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था है। तथापि, राष्ट्रीय जैव-ईंधन कोष (नेशनल बायो-फ्यूल फंड) की संरचना व उसकी कार्यविधि को स्पष्ट करने के लिए मंत्रालय पर जब से दबाव बनाया गया, तब से छह महीने से अधिक का समय हो चुका है और मंत्रालय के जवाब में यह बताया गया है कि इस संबंध में इसकी अभी भी जांच चल रही है। परम्परागत हाइड्रोकार्बन की कमी को पूरा करने और इससे देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में इस कार्यक्रम की अहमियत को समझते हुए समिति अपनी सिफारिश को दुहराती है कि मंत्रालय को चाहिए कि वे पर्याप्त बजटीय आवंटन के साथ इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्यविधि को अवश्यंभावी रूप से अंतिम रूप दें जिससे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का कार्यान्वयन वित्त पोषण बाधा न बन पाए। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इस बात को भी स्पष्ट करें कि देश में बायो-ईंधन के उत्पादन के संबंध में क्या रोड मैप/ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं और इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है और संसद में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इससे समिति को अवगत कराया जाए।

सिफारिशं 12

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

17. समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थीः

" समिति नोट करती है कि देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सफल कार्यान्वयन के कारण वर्तमान में लगभग 26.5 करोड़ उपभोक्ता है, जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए और इसमें से 4.51 करोड़ से अधिक कनेक्शन वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदान किए गए। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि पर्याप्त संख्या में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाएं ताकि उपभोक्ता समय पर और बिना किसी कठिनाई के अपने सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए सुविधाओं का लाभ उठा सकें। समिति ने नोट किया कि दिनांक 01.10.2019 को स्थिति के अनुसार देश में 24127 एलपीजी वितरक हैं और ओएमसी ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों के तहत 6380 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का विज्ञापन किया है. जिसमे से 4152 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चालू की गई है।

चूंकि दूर-दराज क्षेत्रों में इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने से एलपीजी के निर्बाध वितरण और आपूर्ति में मदद मिलती है, समिति सरकार को समझाना चाहेगी कि ओएमसीजी को उपयुक्त निर्देश दिए जाएं कि शीघ्रता से शेष डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने की प्रकिया को पूरा किया जाए। समिति ने नोट किया कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन विभिन्न कारणों से प्रभावित होता है और इसलिए, सिफारिश करते हैं कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाए ताकि लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके और अनुचित देरी से बचा जा सके।

18. इस संबंध में, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दियाः

" एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में विज्ञापन की प्रक्रिया आवेदन की जांच, पात्र आवेदकों के बीच ड्रा, पर्ची द्वारा निकाले गए ड्रॉ से चुने गए उम्मीदवार का क्षेत्र सत्यापन (एफवीसी) होता है, जिसके बाद एफवीसी में सफल उम्मीदवारों को आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाता है। शिकायतो, अदालती मामलों शून्य आवेदकों, एफवीसी के दौरान उम्मीदवारों की अस्वीकृति आदि के कारण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन प्रभावित होता है। एक बार जब उम्मीदवार एफवीसी के दौरान अस्वीकार कर दिया जाता है तो फिर से ड्रा निकाला जाता है। सभी आवेदकों को उचित न्याय देने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ड्रा के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों की सूची पूरी नहीं हो जाती।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों के तहत विज्ञापित 6380 स्थलों में से, ओएमसी द्वारा दिनांक 01.12.2019 तक 4373 को पहले ही चालू किया जा चुका है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति की टिप्पणियां

19. समिति का सुविचारित मत है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शुरू होने से ग्रामीण भारत के बड़ी आबादी क्षेत्र में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तथापि, समिति यह नोट करती है कि एलपीजी के बढ़ते घर-परिवारों के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार देश के आंतरिक क्षेत्रों और अन्य अगम्य पहाड़ी क्षेत्रों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का तदनुसार विस्तार करें।

अतः, समिति एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन की प्रक्रिया में आने वाली कई व्यावहारिक कठिनाइयों को संज्ञान में लेते हुए मंत्रालय तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) से इस बात का आग्रह करती है कि वे आवंटन प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसकी मौजूदा प्रक्रिया को सुचारू बनाएं। समिति मंत्रालय से इस बात की भी उम्मीद करती है कि वे शेष एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को अतिशीघ्र शुरू कराएं और तदनुसार, समिति को तीन महीने के अंदर इससे अवगत कराएं।

सिफारिश 13

प्रधान मंत्री जी-वन योजना

20. समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थीः

समिति नोट करती कि प्रधान मंत्री जी-वन योजना एक अलग योजना है जिसके बजट अनुमान 2019-20 में 37.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना 2जी एथेनॉल क्षमता बनाने और इस नए क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता करती है। समिति आगे नोट करती कि इस योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए की लागत से 12 व्यावसायिक परियोजनाओं तथा 150 करोड़ रुपए की लागत से 10 प्रदर्शन परियोजनाओं/ प्रशासनिक प्रभार के रूप में सीएचटी के लिए 19.50 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए 1956.50 करोड़ रुपये प्रदान किए गए

समिति नोट करती है कि योजना के उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य 2जी एथेनॉल उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करना, किसानों को उनके अन्यथा बेकार कृषि अवशेषों के लिए पारिश्रमिक आय प्रदान करना, बायोमास/कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करना और अपशिष्ट बायोमास और शहरी कचरे के एकत्रीकरण करके दूसरी पीढ़ी के बायोमास का एथेनॉल प्रौद्योगिकियों आदि का स्वदेशीकरण करके गैर-खाद्य जैव ईंधन फीड-स्टॉकों को एकत्रित करके `स्वच्छ भारत मिशन` में योगदान करना है।

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय समय-समय पर इस योजना के तहत वाणिज्यिक और प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि बिना अधिक समय और लागत के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योजना की विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियों को लागू किया जाए।

21. इस संबंध में, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दियाः

मंत्रालय समय-समय पर इन परियोजनाओं के संबंध में अधिक समय और लागत से बचने के लिए मंत्री, पी एंड एनजी के स्तर सहित सभी स्तरों पर 2जी एथेनॉल परियोजनाओं के कार्यक्रम की निगरानी करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति की टिप्पणियां

22. समिति ने नोट किया था कि प्रधान मंत्री जीवन योजना बजट अनुमान 2019-20 में 37.87 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य 2जी इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोजेक्टों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना, किसानों को उनके अपशिष्ट कृषि अवशेषों के लिए उन्हें लाभकारी आय प्रदान करना और इस तरह देश में बायोमास के जलने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर करना था। इस संबंध में, समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस योजना के तहत वाणिज्यिक व निरूपण परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा बिना कोई समय गंवाए व बिना किसी लागत-प्रभाव के की जाए। तथापि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अभिप्रेत प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि का व्यय नहीं किया है।

समिति का यह दृढ़ मत है कि विभिन्न समस्याओं को हल करने में इस योजना के अत्यधिक संभावित लाभों को देखते हुए, जीवन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से परम्परागत जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में निश्चय ही भारी कमी आएगी और इससे कालांतर में देश की अति आवश्यक ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी। इसलिए, समिति यह आशा करती है कि मंत्रालय इस योजना के तहत 2जी इथेनॉल परियोजनाओं को बनाने के लिए अतिशीघ्र कार्यविधि तैयार करें, जिससे देश में सामान्य तौर पर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष रूप से उत्तर भारत में सर्दी

के मौसम में बारंबार होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटन के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार की जा सके।

अध्याय – दो

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश संख्या 1

बजटीय आवंटन का विश्लेषण्

" समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय बजट कुल 42901.49 करोड़ रुपये दर्शाता है। जिनमें से 41234.18 करोड़ रुपए का आवंटन राजस्व मद के तहत है और 1667.31 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में है। वर्ष 2019-20 के लिए एलपीजी एकाउण्ट हेतु डीबीटी के तहत बी.ई. 29500 हेतु करोड़ रुपए और एनई क्षेत्र (केरोसीन) सहित देय अन्य राजसहायता 4058 करोड़ रुपए है गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई) के तहत आवंटन 2724 करोड़ रुपए और फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजनाओं के तहत यह 2758.71 करोड़ रुपए है। राज्य सरकारों को विभेदक रॉयल्टी के भुगतान के लिए 195 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के दौरान 37.87 करोड़ रुपये और 31.82 करोड़ रुपये की राशि क्रमशः पीएम आई वन योजना और आईआईपीई के लिए आबंटित की गई है। पूंजी भाग में 1623.26 करोड़ रुपए को राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के लिए ब.अ. 2019 20 के रूप में आवंटित किया गया है।

2018-19 में वास्तविक पर ब.अ. 2019-20 के विश्लेषण से पता चलता है कि एलपीजी के लिए शीर्ष डीबीटी के तहत आवेदन 79 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जबकि फूलपुर-धामरा-हल्दिया परियोजना में 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, पीएमयूवाई के तहत धन का आवंटन 14.88 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जबकि राज्य सरकारों को विभेदक रॉयल्टी का भुगतान 2018- 19 के वास्तविक की तुलना में 54 प्रतिशत की गिरावट का संकेत देता है। कैपिटल सेक्सन के तहत राष्ट्रीय भूकंपीय आवंटन 2018-19 के वास्तविक से 24.87 प्रतिशत बढ़ा हुआ आवंटन दर्शाता है।

इसके अलावा, समिति को बताया गया है कि बीको लॉरी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान की दिशा से ब.अ. 2019-20 में 42.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और समिति चाहती है कि निधि के उपयोग के साथ नवीनतम स्थिति को जल्द से जल्द बताया जाए।

समिति नोट करती है कि 42901.49 करोड़ रुपये के ब.अ. 2019-20 से वर्ष 2018-19 के 32370.81 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय रुपये की तुलना में 32.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समिति पाती है कि व्यय में हुई वृद्धि रसोई गैस लिए शीर्ष डीबीटी तहत है, जिसमें 13000 करोड़ रुपए आवंटन बढ़ा है जो एलपीजी लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की दिशा में तेल विपणन कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए है। समिति यह देखकर निराश है कि मंत्रालय ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, एलपीजी के लिए डीबीटी के तहत निधियों की आवश्यकता का ठीक से अनुमान नहीं लगाया गया है। इसके अलावा, समिति यह पाती है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, केरोसीन वितरण सुधारों के लिए केंद्र शासित सरकारों को नकद प्रोत्साहन के तहत आवंटन 2 करोड़ रुपये था और निधियों का वास्तविक उपयोग केवल 0.26 करोड़ रुपए हुआ। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सभी शीर्षों के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग पूरी तरह से करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पूंजी और राजस्व दोनों खंडों के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग कर सकता है।

सरकार का उत्तर

			(करोड़ रूपए में)
	बजट अनुमान 2019-20	**संशोधित अनुमान 2019-20**	**29.02.2020 की स्थिति के अनुसार**
राजस्व	41234.18	42282.44	41989.76
पूंजीगत	1667.31	619.05	400.68
कुल	42901.49	42901.49	42390.44
			98.81% ब.अ.

.

				(करोड़ रूपए में)
योजना	**वास्तविक 2018-19**	**ब.अ. 2019-20**	**आरई 2019-20**	**29.02.2020 की स्थिति के अनुसार व्यय**
1.एलपीजी के लिए डीबीटी	16477.80	29500.00	29627.76	29500.00
2.एनई क्षेत्र (केरोसिन) सहित देय अन्य राजसहायता	4200.00	4058.00	4058.00	4058.00
3.गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस कनेक्शन	3200.00	2724.00	3724.00	3724.00
4.फूलपुरा-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना	1206.60	2758.71*	3104.22*	1505.86
5. राज्य सरकारों को विभेदक रॉयल्टी का भुगतान	4255.00	1954.00	1962.32	1954.00
6. प्रधान मंत्री जी-वन योजना	0.00	37.87	0.01	0.00
7. आईआईपीई, विशाखापट्टनम	24.00	31.82	22.28	22.28
8. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम	1300.00	1623.26	575.00	385.68

"वित्त मंत्रालय ने लाभ की सीधा अंतरण-एलपीजी की योजनाओं में 29500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जो कि 2018 19 के वास्तविक से 79 प्रतिशत की वृद्धि है। इस योजना के ब.अ. में यह वृद्धि पिछले वर्ष के अवैतनिक बकाया का भुगतान करने के लिए है। यह राशि 29.02.2020 तक पूरी तरह से उपयोग की जा चुकी है। फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना की योजना में 15552 करोड़ रूपए का आवंटन रखा गया है। यह योजना चालू वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से वित्त पोषित है। ब.अ. में 1206.60 करोड़ रुपए और आरई में 1552.11 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) से

प्रदान किया गया है जो कि खाते में बुक एडजस्टमेंट है। 'गरीब घरों (पीएमयूवाई) को रसोई गैस कनेक्शन' की योजना में मांग में बचत से 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। इसलिए कुल 724 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। बकाया विभेदक रॉयल्टी घटक की कम देयता के कारण, 1954 करोड़ रुपये के प्रावधान का 'राज्य सरकारों को अंतर रॉयल्टी के भुगतान' की योजना में रखा है, पिछले वर्ष की तुलना में ब.अ. में अंतर है। इस योजना में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों को देय वार्षिक विभेदक रॉयल्टी के भुगतान के लिए आरई स्टेज पर 8.32 करोड़ प्रदान किए गए हैं ।

बीको लॉरी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण' के लिए 42.05 करोड़ के प्रावधान में से 15 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

योजनाओं में धन का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा बताई गई सीमा के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, एलपीजी के लिए डीबीटी की योजना में बजट प्रावधान को मांग के लिए ब.अ. की सीमा के अनुसार रखा गया था। केरोसिन वितरण सुधारों के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को नकद प्रोत्साहन के तहत आवंटन किया गया था, लेकिन बिल संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 42901.49 करोड़ रुपए की आवंटित राशि में से मंत्रालय ने 29 फरवरी, 2020 तक 42390.44 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया है जो ब.अ. का 98.81% है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020
समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय-एक का पैरा सं. 7 देखें)

सिफारिश संख्या 4

प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना (पीएमयूजी)

समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने देश में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस ग्रिड के एक अंग के रूप में 15000 किमी पाइपलाइन क्रियान्यवन करने की योजना तैयार की थी। 2520 किलोमीटर लंबे तीन पाइपलाइनों को पीपीपी मोड के माध्यम से विजिबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) द्वारा क्रियान्वित करने की परिकल्पना की गई थी। समिति, तथापि, यह नोट करने के लिए विवश है कि इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित बजट आवंटन 3550 करोड़ रुपए है जिसमें से अब तक केवल 1322 करोड़ रुपये का वास्तविक उपयोग

हुआ है। समिति यह बताना चाहती है कि फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के तहत, 2018-19 के दौरान 2413.20 करोड़ के बजटीय आवंटन के सापेक्ष वास्तविक पूंजी व्यय 1206.60 करोड़ रुपये थी।

समिति नोट करती है कि गेल जगदीशपुर-हल्दिया बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीएल) और बारतूनी-गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना (बीजीपीएल) को क्रियान्वित कर रहा है और पीएमयूजी तहत एचएचबीडीपीएल और बीजीपीएल पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए लक्ष्य की तारीख क्रमशः दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 हैं और ये परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे उर्वरक, इस्पात, रिफाइनरियों, छोटे उद्योगों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को गैस की आपूर्ति करेंगी।

अतः, समिति की सिफारिश करती है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमयूजी परियोजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों और किए जाने वाले वित्तीय व्यय को बिना किसी असफलता के हासिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी बाहरी कारक जो पूरा होने में बाधा डालते हैं, उन्हें उचित अधिकारियों के साथ उठाना चाहिए ताकि परियोजना को बिना समय गंवाए और लागत बढ़ाए निर्धारित समय में पूरा किया सके।

सरकार का उत्तर

(क) **वर्तमान स्थितिः** जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीएल) और बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना (बीजीपीएल) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

क्रम	पाइपलाइन का नाम	लंबाई (किमी)	राज्य	प्रत्याशित पूरा होने की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रूपए में)	13.01.2020 की स्थिति
1	जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन-सेक्शन-1 (फूलपुर से डोभी)(गया) तक, वाराणसी, गोरखपुर, पटना और बरौनी के लिए स्परलाइन	750	उत्तर प्रदेश	चालू हो गया है	12940	संपूर्ण पाइपलाइन चालू हो गया है
2	धामरा-अंगुल पाइपलाइन सेक्शन (सेक्शन-2A	400	ओडिशा	दिसंबर, 2020		कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों का कार्य प्रगति पर है
3	डोभी-दुर्गापुर पाइपलाइन सेक्शन (सेक्शन-2B	500	बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड	दिसंबर, 2020		
4	बोकारोअंगुल पाइपलाइन परियोजना-(सेक्शन-3A	667	झारखंड, ओडिश	दिसंबर, 2020		
5	दुर्गापुरहल्दिया पाइपलाइन परियोजना-(सेक्शन-3B	335	पश्चिम बंगाल	दिसंबर, 2020		

6	बरौनीगुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना-	729	बिहार, पश्चिम बंगाल, असम	दिसंबर, 2020	3308	

जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीपीएल) और बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना (बीजीपीएल) में पूर्व निर्धारित योजना से अधिक समय और लागत अपेक्षित नहीं है।

(ख) भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदानः दिनांक 29 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार 12,940 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत के 40% की दर से व्यवहार्यता कमी संबंधी निधियन/आंशिक पूंजी अनुदान संबंधी सीसीईए की मंजूरी के अनुसरण में, जेएचबीडीपीएल परियोजना के विकास के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड को 3562.4575 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) <u>अब तक कार्य की प्रगति में बाधा वाले कारक/मुद्देः</u>

1.राज्यः झारखंड (कुल लंबाई-559 किमी)
क. आरओयू पंचनामा/अधिग्रहण
ख. वन मंजूरीभूमि
ग. भूमि मुआवजा का वितरण

सचिव, पीएनजी ने दिनांक 16.12.2019 के पत्र द्वारा झारखण्ड सरकार के साथ इसे उठाया है।

2. राज्यःपश्चिम बंगाल (लंबाई-(जेएचबीडीपीएल)-555 किमी और (बीजीपीएल)-189 किमी

क. भूमि का मुआवजा।
ख. पश्चिम बंगाल आरओयू अधिसूचना
ग. रक्षा भूमि संबंधी मामला।

पीएनजी मंत्रालय ने दिनांक 16.12.2019 के पत्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इसे उठाया है।

3. राज्यः ओडिशा (कुल लंबाई- 769 किमी)

क. सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के कुछ गांवों के लिए आरओयू जारी।

ख. वन संबंधी अनुमति

सचिव, पीएनजी ने दिनांक 16.12.2019 के पत्र द्वारा ओडिशा सरकार के साथ इसे उठाया है।

4. राज्यः बिहार (कुल लंबाई -713 किमी)

क. गया जिला में आरओ पंचनामा/अधिग्रहण।

मामले को पीएमजी और अन्य केंद्रीय/राज्य प्राधिकरणों के साथ नियमित आधार पर उठाया गया है।

निर्धारित समय और अनुमोदित लागत के भीतर परियोजना को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

सिफारिश संख्या 5

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)

समिति नोट करती हैं कि चरण-1 के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के विशाखापत्तनम, मंगलोर और पादर में तीन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिजर्व (एसपीआर) हैं। समिति का मानना है कि विशाखापत्तनम और मैंगलोर एसपीआर सुविधाओं में कच्चे तेल को भरने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जहा तक पादर का संबंध है, एडीपीओसी मॉडल के अनुसार क्रूड फिलिंग की संभावना तलाशने के लिए आईएसपीआरएल और एडीएनओसी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समिति नोट करती है कि पादर एसपीआर को भरने के लिए कच्चे तेल की खरीद के लिए वर्ष ब.अ. 2019-20 के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्तावित थी। तथापि, मांग के मुकाबले केवल 1 करोड़ रुपये की सांकेतिक राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान कच्चे तेल की खरीद के लिए 7 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था और जिसमें से केवल 535 करोड़ रुपये (जो केवल 76% है का उपयोग मैंगलोर में एसपीआर सुविधा को भरने के लिए किया गया था।

समिति की राय है कि देश के ऊर्जा सुरक्षा के लिए एसपीआरज एक महत्वपूर्ण घटक है और इसलिए, दृढ़ता से सिफारिश करते हैं कि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त आवेदन करने के लिए मंत्रालय को इसे वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए। इसके अलावा, समिति जोर देती है कि मंत्रालय आवंटित राशि का पूरा उपयोग करे ताकि अगले साल भी आवंटन से कोई कटौती न हो।

समिति नोट करती है कि आईएसपीआरएल के द्वितीय चरण के तहत ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक में पादुर नामक दो स्थानों को 6.5 एमएमटी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना के लिए चुना गया है। दोनों स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की प्रि या अभी प्रक्रियाधीन है। समिति नोट करती है कि स्थानीय लोगों द्वारा आदोलन किए जाने के काएण, पादुर में क्षेत्र सर्वेक्षण का कार्य रोक दिया गया था। अतः समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि इस मुद्दे को राज्य सरकार सहित हितधारकों के साथ उच्चतम स्तर पर उलकर हल किया जा सकता है और कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पुनः शुरू किया जाना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति की सिफारिशों को मंत्रालय ने नोट किया है। अगले वित्त वर्ष अर्थात 2020-21 के दौरान कच्चे तेल की खरीद के लिए 2200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी । इस संबंध में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहले ही वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है ताकि निधियों का प्रापण यथाशीघ्र किया जा सके।

मंगलौर में कैवर्न-बी में वर्ष 2016 में आयातित 0.75 एमएमटी कच्चे तेल से पहले ही भर दिया गया था। इसी दौरान पादुर सुविधा वर्ष 2018 में तैयार हो गया था। सरकार ने दिनांक 16 अगस्त 2018 को मंगलोर कंदरा से पादुर कंदरा में कच्चे तेल के अंतरण को मंजूरी दे दी थी। यह नोट किया जा सकता है कि पादुर सुविधा में चार कम्पार्टमेंट हैं जिसमें प्रत्येक की क्षमता 0.625 एमएमटी है। इसलिए एक कम्पार्टमेंट भरने के लिए 0.625 एमएमटी कच्चा तेल पादुर अंतरित किया गया, और यह सुविधा दिनांक 15 दिसंबर 2018 को सुविधा चालू किया गया था।

वर्ष 2018-19 में स्ट्रैटजिक रिजर्व में कच्चा तेल भरने के लिए भारत सरकार ने आईएसपीआरएल को 700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। दिनाँक 27 दिसंबर, 2018 को मंगलौर की कंदरा बी को भरने के लिए 535 करोड़ रुपये मूल्य का कच्चे तेल की खरीद की गई थी।

ओडिशा में चंडीखोल और कर्नाटक में पादुर दोनों स्थलों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया में, स्थानीय लोगों द्वारा मुआवजा संबंधी मुद्दा उठाया गया है। डीसी,

उड्डपी से पुन पुनसर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आईएसपीआरएल द्वारा मुआवजा संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा।

आईएसपीआरएल ने इस मामले पर डीसी उडुपी को पीडब्ल्यूडी द्वारा मकानों का पुनः सर्वेक्षण करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आईएसपीआरएल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी लिखा है। चरण-दो भूमि अधिग्रहण के लिए कैडस्ट्रॉल सर्वेक्षण में सहयोग की सुविधा और सहयोग करने के लिए भी डीसी, उडुपी से अनुरोध किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

सिफारिश संख्या 6

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई)

समिति नोट करती है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, पारंपरिक हाइड्रोकार्बन, एलएनजी, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित पूरे ऊर्जा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के लिए विशाखापत्तनम में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई) की स्थापना की जा रही है। समिति नोट करती है कि विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई) के स्थायी परिसर के निर्माण से संबंधित भूमि के आवंटन की वर्तमान स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित कुल 201.80 एकड़ की भूमि में से 175.74 एकड़ भूमि को आईआईपीई को आवंटित किया जा चुका है। वर्तमान में, शेष 26.06 एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में फंसी है और आईआईपीई को आवंटित की जानी है। समिति को आगे सूचित किया गया है कि आईआईपीई इस मुद्दे के समाधान के लिए जिला कलेक्टर के साथ लगातार संपर्क में है और जिला प्रशासन ने 26.06 एकड़ की शेष भूमि को सौंपने के लिए हितधारकों से परामर्श करके मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान आईआईपीई के लिए 31.82 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से दिनांक 30 सितंबर, 2019 तक 14.32 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि पिछले वर्ष ब.अ. 2018-19 के तहत आवंटित 24 करोड़ रुपए का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया था।

समिति लंबित भूमि मुद्दे का समाधान खोजने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बना रखने के लिए जोर डालती है ताकि आईआईपीई जैसा महत्वपूर्ण संस्थान अपने स्वयं के परिसर में पूर्ण विकसित बुनियादी ढांचे के साथ कार्य कर सके तथा पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान की दिशा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को

बढ़ावा देने का उद्देश्य प्राप्त कर सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित राशि का उपयोग पूर्णतः किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश को अनुपालन के लिए नोट किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई) ने ज़मीन के उस हिस्से को खाली कराने और उन्हें सौंपने के लिए पहले ही जिला कलेक्टर के साथ मिलकर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। वर्ष 2019-20 के दौरान आईआईपीई को अब तक जारी की गई राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

सिफारिश सं. 7

राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम

समिति नोट करती है कि सरकार ने अक्टूबर, 2016 में एक राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एसएसपी) तैयार किया था जो भारत के सभी तलछटी बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए 2932.99 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 48,243 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) का 2 डी भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित कर रहा था और परियोजना को 2020-21 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। समिति यह समझती है कि वर्तमान प्रक्रिया में प्राप्त आंकड़ों से ब्लॉको को भावी क्षेत्रों को तैयार करने में मदद मिलेगी, खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी) आदि में बोली लगाने वालों की रुचि उत्पन्न होगी। समिति नोट करती है कि 2019-20 के लिए 11561 एलकेएम के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में 15 अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 4242.74 एलकेएम प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, 1623.26 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की तुलना में, 15 अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार मात्र 166.35 करोड़ रुपए है।

समिति ने कार्य की वर्तमान प्रगति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है क्योंकि मुश्किल से 37 प्रतिशत वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया गया है और चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक केवल 10 प्रतिशत वास्तविक व्यय हुआ है। समिति महसूस करती है कि चूंकि कार्यक्रम का मूल विचार भारत में सभी तलछटी बेसिनो के बारे में प्रामाणिक वैज्ञानिक जानकारी सुनिश्चित करना है, इसलिए यह निश्चित रूप से संसाधन क्षेत्रों/क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा। सृजित डेटा भविष्य मे अन्वेषण गतिविधियों के

लिए बुनियादी जानकारी प्रदान करेगा। धीमी गति से नए भू-वैज्ञानिक डेटा के सृजन के माध्यम से नए/गैर-अन्वेषित हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों की पहचान में कमी आएगी. जिससे घरेलू तेल और गैस उत्पादन प्रभावित होगा। इसे देखते हुए, यह वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति को बढ़ाया जाए और धन का उपयोग अधिकतम किया जाए। इसलिए समिति का सुझाव है कि मंत्रालय को कार्यक्रम की प्रगति की लगातार समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि शेष अवधि में चालू वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हो सके।

अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को लगातार इस कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना चाहिए ताकि शेष अवधि में वर्तमान वित्त वर्ष में भौतिक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हो सके।

सरकार का उत्तर

देश में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को भारत के तलष्टी बेसिनों में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए तैयार किया गया था ताकि 5 वर्ष की समयावधि में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जा सके। यह कार्यक्रम 2020 तक पूरा किया जाना है। कुल 48,243 एलकेएम डेटा को अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या (एपीआई) के लिए पहचाना गया था। इस व्यापक लक्ष्य के तहत, ओएनजीसी और ओआईएल के लिए उप-लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। ओएनजीसी को 2डी भूकंप के 42211 एलकेएम दिया गया था और ओआईएल को 6082 एलकेएम का लक्ष्य दिया गया था।

राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा एक संचालन समिति द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता सचिव, एमओपीएनजी करते हैं। सचिव, एमओपीएनजी की अध्यक्षता में संचालन समिति की तीसरी बैठक 23.10.2019 को आयोजित की गई थी जहाँ प्रगति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। एनओसी (ओएनजीसी और ओआईएल) ने बैठक मे बताया कि उन्हें सौंपे गए काम का 94% मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा और मणिपुर और एनसी हिल्स के क्षेत्रों को छोड़कर जहां लॉजिस्टिक मुद्दे और हिमालय, कच्छ एसआरडी, सतपुड़ा, कैम्बे के क्षेत्र शामिल हैं जो सर्वेक्षण करने के मामले में कठिन हैं। 31.12.2019 तक, 43211.38 लाइन किलोमीटर के लिए डेटा प्राप्त कर लिया गया है जो कि 48243 लाइन किलोमीटर के कुल लक्ष्य का 89.37% है।

कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात ओएनजीसी और ओआईएल को डीजीएच की सिफारिश के अब तक 1645.76 करोड रुपए जारी किए गए हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी डीजीएच द्वारा की जाती है। डीजीएच की सिफारिश के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान 1623.26 करोड़ रुपये से संशोधित करके 575.00 करोड स्पर कर दिया गया है, जिसमे से 336.03 करोड़ रुपए अब तक जारी किए जा चुके है और 49 करोड़ रुपए के बिल की मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान 417 करोड़ रुपए है, जिसका उपयोग वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में किए गए कार्यों के लिए एनओसीज को प्रतिपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा।

आवंटित राशि का कम उपयोग प्रचालकों द्वारा लॉजिस्टिक रूप से नहीं पहुंच योग्य क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षण करने और स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने के कारण आने वाली कठिनाइयों के कारण होता है। इसके अलावा, एनओसीज ने बताया है कि कार्यक्रम के लिए शुरू में आवंटित धनराशि का अधिक अनुमान लगाया गया था और सर्वेक्षण करने में वास्तविक खर्च कम हुआ है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

सिफारिश संख्या 8

राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि

समिति पाती है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति सरकार द्वारा 2018 में देश में जैव ईंधन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अधिसूचित की गई थी और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोनों पहली पीढ़ी (1जी) के लिए जैव एथेनॉल और जैव-डीजल ईंधनों और दूसरी पीढ़ी (2जी) एथेनॉल और जैव-सीएनजी ईंधनों के उपयुक्त वित्तीय और वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा प्रदान करना रहा है। समिति ने नोट किया है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि को चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.00 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की ईंधन निधि की सांकेतिक राशि आबंटित की गई है ताकि देश में जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधियन, राजसहायता और अन्य वित्तीय अनुदान दिए जा सके।

समिति ने इस मंत्रालय के राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रम के उद्देश्यों की सराहना करते हुए, सरकार से आशा की कि विभिन्न व्यावहारिक बाधाओं जैसे कि इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम में एथेनॉल की पर्याप्त आपूर्ति के अभाव का समाधान खोजेगी। समिति चाहती हैं कि देश में कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार को विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन के उत्पादन के

लिए और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए देश में कई फसलों की उपलब्धता का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। समिति की यह भी इच्छा है कि बड़ी मात्रा में जैव ईंधन का उत्पादन निश्चित रूप से मौजूदा पारंपरिक हाइड्रोकार्बन बढ़ाने के रूप में एक लंबा रास्ता तय करेगा और मंत्रालय को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने और कार्यक्रम को ठीक से वित्त पोषित करने की सिफारिश करेगा ताकि इसे मिशन के तौर पर शुरू किया जा सके।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में बी-सीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, कृषि अवशेष, चीनी युक्त पदार्थ जैसे चुकंदर, मीठा शर्बत, गेहूं, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे गेहूं, टूटे हुए चावल आदि से एथेनॉल के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2018-19 से अतिरिक्त स्रोतों जैसे कि बी-हैवी सीरा, गन्ने का रस, मानव के खाने के अयोग्य गेहूं और चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, अधिशेष खाद्यान्न और फल और सब्जी कचरे से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है। ईएसवाई: 2019-20 से, सरकार ने इथेनॉल बनाने के लिए अतिरिक्त स्रोतों के रूप में चीनी और चीनी शरबत की अनुमति दी है। इन सभी फीड-स्टॉक को देश में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, एनपीबी-2018 में परिकल्पित है कि कृषि फसल वर्ष के दौरान जब खाद्यान्नों की अधिक आपूर्ति पर अनुमान लगाया गया है जैसा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्याशित है, राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति के अनुमोदन के आधार पर, नीति इन खाद्यान्नो की अधिशेष मात्राओं को इथेनॉल में परिवर्तन करने की अनुमति देगी।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में 2020-21 के लिए 1 करोड़ रूपए की सांकेतिक राशि पहले ही रख ली गई है और इस निधि के तौर तरीकों, की इस मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति की टिप्पणियां

(कृपया देखिए अध्याय-एक का पैरा सं. 16)

सिफारिश संख्या 10

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की अनुसंधान और विकास गतिविधियां

समिति नोट करती है कि विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों की खोज करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियां तेल उदयोग में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अनिवार्य हो गई है। समिति यह भी नोट करती है कि पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों की तेजी से कमी और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने नई प्रौट्योगिकियों की खोज को अनिवार्य बना दिया है ताकि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जा सके, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी में सुधार किया जा सके, हाइड्रोजन ईंधन, जैव ईंधन और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय रूपों जैसे विभिन्न गैर-पारंपरिक वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ाया जा सके। बजटीय आवंटन के संबंध में, समिति पाती है कि पीएसयू द्वारा आरएंडडी के लिए आवंटन पिछले तीन वर्षों के दौरान घट रहा है। वर्ष 2017-18 मे यह 650 करोड़ रु.था जो वर्ष 2018-19 में 455 करोड़ रुपये. रह गया। हालांकि वर्ष 2017-18 के दौरान वास्तविक व्यय 586 करोड़ रुपये था और वर्ष 2018-19 के दौरान यह 583 करोड़ रु था।

समिति महसूस करती है कि उस क्षेत्र में विकास के निर्देशात्मक स्तर पर किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर किए जाने वाला व्यय और चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के तरीके को पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के लिए उत्साह दर्शाता है। समिति को विश्वास है कि आरएंडडी न केवल भारतीय पेट्रोलियम क्षेत्र को सतही स्तर पर स्पष्ट रूप से डोमेन विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाएगा, बल्कि निरंतर वृद्धिपरक और नूतन नवोन्मेषों के आधार को भी मजबूत करने के उद्देश्य से रिफाइनरी प्रचालन कार्यों तथा वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा प्रौदयोगिकियों के संबंध में नए रुझानों को अपस्ट्रीम क्षेत्र से मिडस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर तक लाएगा।

समिति का दृढतापूर्वक विश्वास है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ट्वारा आरएंडडी पर किए जाने वाले खर्चों को शीर्ष प्राथमिकता देते हए और मजबूत किया जाए। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार को अनुसंधान एवं विकास के महत्व पर जोर देना चाहिए और व्यय को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही बजटीय व्यय भी आवंटन के अनुसार खर्च करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा आरएंडडी पर आवंटित निधि (करोड़ रु. में) का % उपयोग इस प्रकार है.

ओएनजीसी

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	% उपयोग
2016-17	608	592	97%
2017-18	650	586	90%
2018-19	455	583	128%

ओआईएल

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	% उपयोग
2016-17	60.83	63.42	104%
2017-18	63.16	64.32	102%
2018-19	72.99	86.19	118%

ओएनजीसी और ओआईएल ने भी समिति के विचारों को भी नोट किया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

सिफारिश संख्या 11

कच्चे तेल के स्रोतों का विविधीकरण

समिति नोट करती है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में तेल और गैस उद्योग देश के समग्र आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। वर्तमान में, देश अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 83 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस के मामले में लगभग 47 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। समिति ने देश के आर्थिक विकास को देखते हुए, उम्मीद की है कि घरेलू ऊर्जा खपत की बढ़ती जरूरतों को ऊर्जा के विविध विकल्पों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए और पारंपरिक तेल निर्यातक देशों से आगे बढना चाहिए और विभिन्न हाइड्रोकार्बन समृद्ध देशों में तेल और गैस के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।

समिति पाती है कि देश का कच्चा तेल मध्य पूर्व और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका,उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य क्षेत्रों से आयात किया जा रहा है। समिति अलग-अलग क्षेत्रों से क्रूड सोर्सिंग के विविधीकरण में `सरकार के वर्तमान प्रयासों से संतुष्ट होने के बावजूद, इस बात पर ध्यान देना चाहती है कि इस विविधीकरण के बावजूद, देश अभी भी अपने कच्चे तेल के दो-तिहाई से अधिक के लिए मध्य पूर्व क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए, समिति ने सरकार से एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने की सिफारिश की है और कहा है कि दीर्घावधि में देश की समग्र ऊर्जा सुरक्षा के लिए अन्य क्षेत्रों से आयात करने के संबंध में राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रोत्साहित करने लिए अपने क्रूड सोर्सिंग के विविधीकरण में अधिक सक्रिय होना चाहिए।

सरकार का उत्तर

मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 06.04.2016 को लिए गए निर्णय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को तदनुसार सूचित किया गया है कि वे अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक हित में और केंद्रीय सतर्कता आयोग, आदि के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कच्चे तेल के आयात के लिए नीतियां तैयार कर सकती हैं।

पीएसयू ओएमसीज पहले से ही कच्चे तेल के अपने स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। मध्य पूर्व से कच्चे आयात का स्तर वर्तमान में 83% से घटकर 71% गया हो गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

सिफारिश संख्या 12

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

समिति नोट करती है कि देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सफल कार्यान्वयन के कारण वर्तमान में लगभग 26.5 करोड़ उपभोक्ता है, जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए और इसमें से 4.51 करोड़ से अधिक कनेक्शन वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदान किए गए। इसने यह अनिवार्य हो जाता है कि पर्याप्त संख्या में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाएं ताकि उपभोक्ता समय पर और बिना किसी कठिनाई के अपने सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए सुविधाओं का लाभ उठा सकें। समिति नोट करती कि दिनांक 01.10.2019 की स्थिति के अनुसार देश में 24127 एलपीजी वितरक हैं और ओएमसी ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत

दिशानिर्देशों के तहत 6380 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का विज्ञापन किया है, जिसमें से 4152 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चालू की गई हैं।

चूंकि दूर-दराज क्षेत्रों में इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने से एलपीजी के निर्बाध वितरण और आपूर्ति में मदद मिलती है, समिति सरकार पर दबाव डालना चाहेगी कि ओएमसीज को उपयुक्त निर्देश दिए जाएं कि शीघ्रता से शेष डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने की प्रक्रिया को पूरी की जाए। समिति नोट करती है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन विभिन्न कारणों से प्रभावित होता है और इसलिए, सिफारिश करती हैं कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाए ताकि लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके और अनुचित देरी से बचा जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में विज्ञापन की प्रक्रिया, आवेदनों की जांच, पात्र आवेदकों के बीच ड्रॉ, पर्ची द्वारा निकाले गए ड्रॉ में चुने गए उम्मीदवार का क्षेत्र सत्यापन (एफवीसी) होता है, जिसके बाद एफवीसी में सफल उम्मीदवारों को आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाता है। शिकायतों, अदालती मामलों, शून्य आवेदकों, एफवीसी के दौरान उम्मीदवारों की अस्वीकृति आदि के कारण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन प्रभावित होता है। एक बार जब उम्मीदवार एफवीसी के दौरान अस्वीकार कर दिया जाता है, तो फिर से ड्रा निकाला जाता है। सभी आवेदकों को उचित न्याय देने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ड्रा के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों की सूची पूरी नहीं हो जाती।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों के तहत विज्ञापित 6380 स्थलों में से, ओएमसी द्वारा दिनांक 01.12.2019 तक 4343 को पहले ही चालू किया जा चुका है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति की टिप्पणियां
(कृपया देखिए अध्याय-एक का पैरा सं. 19)

<u>सिफारिश संख्या 13</u>

<u>प्रधान मंत्री जी-वन योजना</u>

समिति नोट करती है कि प्रधान मंत्री जी-वन योजना एक अलग योजना है जिसके बजट अनुमान 2019-20 में 37.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना देश में 2जी एथेनॉल क्षमता बनाने और इस नए क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक उपकरण के

रूप में लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समिति आगे नोट करती है कि इस योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए की लागत से 12 व्यावसायिक परियोजनाओं तथा 150 करोड़ और रुपए की लागत से 10 प्रदर्शन परियोजनाएं। प्रशासनिक पभार के रूप में सीएचटी के लिए 19.50 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए 1956.50 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

समिति नोट करती है कि योजना के उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य 2जी एथेनॉल उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करना, किसानों को उनके अन्यथा बेकार कृषि अवशेषों के लिए पारिश्रमिक आय प्रदान करना, बायोमास/कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करना और अपशिष्ट बायोमास और शहरी कचरे के एकत्रीकरण करके दूसरी पीढ़ी के बायोमास का एथेनॉल प्रौद्योगिकियों आदि का स्वदेशीकरण करके गैर-खादय जैव ईंधन फीडस्टॉकों को एकत्रित करके स्वच्छ भारत' मिशन', में योगदान करना है।

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को समय-समय पर इस योजना के तहत वाणिज्यिक और प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विना अधिक समय और लागत के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योजना की विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियों को लागू किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रालय समय-समय पर इन परियोजनाओं के संबंध में अधिक समय और लागत से बचने के लिए मंत्री, पी एंड एनजी के स्तर सहित सभी स्तरों पर 2 जी एथेनॉल परियोजनाओं के कार्यक्रम की निगरानी करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय-एक का पैरा सं. 22 देखें)

<u>सिफारिश सं. 14</u>

<u>स्किल इंडिया के तहत रोजगार</u>

समिति नोट करती है कि कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के सदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए 2015 में स्किल इंडिया नामक पहल शुरू की गई यी। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के तहत डीलरों, वितरको और ठेकेदारों से जुड़ी बड़ी

संख्या में अप्रमाणित जनशक्ति को प्रमाणित करने के लिए तीन ट्रेडों में योजना का क्रियान्वयन कर रही है। समिति नोट करती है कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 में 50065 कर्मिकों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है।

समिति नोट करती है कि भुवनेश्वर, विजाग, कोच्चि, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रायबरेली में छह कौशल विकास संस्थान (एसडीआई) क्रमशः आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ओआईएल और गेल द्वारा शुरू किए गए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में, एचएससीसी के 12 अनुमोदित ट्रेडों में 833 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें 762 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया और 701 उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया। समिति नोट करती है कि कौशल विकास संस्थानों से 80 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, समिति को लगता है कि कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के लिए अधिक गुंजाइश है और इसलिए, सिफारिश की जाती है कि अधिक संख्या में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाए और इन कौशल विकास संस्थानों और रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाएं और अधिक कौशल विकास संस्थान खोले जा सकते हैं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल और गैस पीएसयू ने भुवनेश्वर, विजाग, कोच्चि, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रायबरेली में छह कौशल विकास संस्थान स्थापित किए हैं जो क्रमशः आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ओआईएल और गेल द्वारा शुरू किए गए हैं। एसडीआई 2016-17 से कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज की तारीख तक इन एसडीआई में अब तक कुल 12,114 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। स्थापना के बाद से, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।

एक. एचपीसीएल द्वारा प्रमुख रूप में चलाए जाने वाले. एचपीसीएल, विशाखापत्तनम में वर्ष 2016-17 के दौरान 338 से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2019-20 के दौरान बढ़कर 4467 हो गई है और नवम्बर, 19 तक 15 सेक्टर कौशल परिषदो (एचएसएससी सहित) के तहत 9451 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिम परिसर के अलावा एसडीआई, विशाखापत्तनम ने भी पिछले 3 वर्षों में विशाखापत्तनम के समीपवर्ती जिलों में 7 विस्तार केंद्र स्थापित किए हैं।

दो. बीपीसीएल द्वारा प्रमुख रूप से चलाए जा रहे एसडीसी, कोच्चि के रूप में, प्रति वर्ष 360 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, एसडीआई, एड्डामानूर के चालू होने के साथ ही संख्या में प्रति वर्ष 2400 की वृद्धि होने की उम्मीद है।

तीन. आईओसीएल दवारा प्रमुख रूप से चलाए जा रहे एसडीआई, भुवनेश्वर में प्रति वर्ष 400 छात्रों को प्रशिक्षित करने की वर्तमान क्षमता है, जो मुख्य परिसर में आने वाले नए मेगा मॉडल मल्टीस्किलिंग इंस्टीट्यूट के साथ प्रति वर्ष लगभग 4000 छात्रों के बढ़ने की उम्मीद है।

चार. ओआईएल द्वारा लीड के रूप में चलाया जाने वाला एसडीआई, गुवाहाटी देश के उत्तर पूी क्षेत्र के युवाओं को हाइड्रोकार्बन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2018-19 के दौरान, एसडीआई, गुवाहाटी द्वारा विभिन्न 12 ट्रेडों के तहत कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षित 80% से अधिक उम्मीदवारों को देश भर के विभिन्न संगठनों में रखा गया है।

पांच. पिछले दो वर्षों के दौरान गेल दवारा लीड के रूप में चलाया जाने वाले एसडीआाई, रायबरेली की प्रशिक्षण क्षमता 60 से 300 प्रशिक्षुओं तक बढ़ गई है। गेल प्रतिवर्ष लगभग 500 उम्मीदवारों की क्षमता वाले गुना (एमपी) और नागराज (एपी) में दो और कौशल संस्थान चला रहा है।

इन एसडीआईज में प्रशिक्षित 80% से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार देने की पेशकश की गई थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 762 प्रमाणित उम्मीदवारों में से 701 को देश की विशाल कंपनियों से रखा गया।

एसडीआई ने आश्वासन दिया है कि कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ाने के लिए और प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौशल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक स्थान और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों ने छह कौशल विकास संस्थान (एसडीआईज) निम्नानुसार स्थापित किए है

क्रम सं.	**कौशल विकास संस्थान (एसडीआई) स्थान**	**लीड पीएसयू**	**मुख्य क्षेत्र**
1	भुवनेश्वर	आईओसीएल	डाउनस्ट्रीम क्षेत्र
2	कोच्चि	बीपीसीएल	विदेशों में रोजगार

3	गुवाहाटी	तेल	पूर्वोत्तर
4	विशाखापत्तनम	एचपीसीएल	डाउनस्ट्रीम क्षेत्र
5	रायबरेली	गेल	मिडस्ट्रीम और गैस
6	अहमदाबाद	ओएनजीसी	अपस्ट्रीम क्षेत्र

एसडीआई 2016-17 से प्रशिक्षण दे रहे हैं । एसडीआईज ने आश्वासन दिया है कि कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ाने के लिए और प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौशल प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे के विस्तार और अधिक स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार करने पर काम कर रहे हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

अध्याय – तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

सिफारिश संख्या 9

तेल और प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

समिति नोट करती है कि उरन, मुंबई में हाल ही में 3 सितंबर, 2019 को अग्नि दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए एक गंभीर अनुस्मारक है और देश में तेल और गैस प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का चिंताजनक कार्यान्वयन है। समिति महसूस करती है कि जयपुर में आईओसीएल टर्मिनल में अक्तूबर, 2009 में अग्नि दुर्घटना के बाद गठित एमबी लाल समिति ने अपने प्रतिष्ठानों पर तेल कंपनियों द्वारा सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में व्यापक सिफारिशें की थीं। तथापि समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि ऐसी सिफारिशों के होने के बावजूद 27 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में नागाराम में गेल पाइपलाइन में और 06.10.2017 को मुंबई के निकट बुचरदवीप में बीपीसीएल टैंक फार्म में विस्फोट जैसी अग्नि दुर्घटना और उरण में हाल की अग्नि दुर्घटना नियमित अंतरालों में तेल प्रतिष्ठानों में हुई थीं।

समिति को उम्मीद है कि मंत्रालय/पीएसयूज देश में तेल प्रतिष्ठानों की समग्र सुरक्षा और सुरक्षा के लिए ओआईएसडी द्वारा बनाए गए सुरक्षा मानकों को लागू कराएगा। इसके अतिरिक्त, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपीज) के संबंध में सुरक्षा जागरूकता अभियान और कार्यबल की संवेदनशीलता को आवधिक रूप में सभी तेल पीएसयूज द्वारा अवश्य ही चलाए जाने चाहिए और एसओपीज के किसी भी विचलन के संबंध में कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा गैजेट काम करने की स्थिति में हों और चालक दल/कर्मचारी/अधिकारी प्रतिक्रिया के समय/अभ्यास के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हों, यह सुनिश्चित करने के लिए हर तीन महीने में मॉक ड्रिल की जानी चाहिए। इसलिए समिति का सुझाव है कि मंत्रालय को सभी तेल प्रतिष्ठानों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुधारात्मक उपाय करने के लिए कमजोर स्थानों की पहचान हेतु समय-समय पर तीसरे पक्ष से सुरक्षा जांच भी कराई जाए।

सरकार का उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में तेल और गैस प्रतिष्ठान, जो राष्ट्र को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षित रहे और उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सुरक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पीएसयू तेल कंपनियों के बोर्ड में हैं, जो कंपनी के सुरक्षा निष्पादन की देखरेख करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों दवारा की जाने वाली विभिन्न पहलों की निगरानी करते हैं।

तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा की जा रही पहल:

- सुरक्षा बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और नई प्रगति को साझा करने के लिए मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन करना।
- उद्योग और अन्य पणधारकों के साथ जुड़ाव स्तर को बढ़ाना।
- पिछले पांच वर्षों में तेल और गैस उद्योग में प्रमुख दुर्घटनाओं के विश्लेषण का संकलन और सिफारिशें, जो सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उद्योग की मदद करेगी।

तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय पहलुओं का सर्वोच्च महत्व है और उदयोग और एमओपीएंडएनजी द्वारा तेल और गैस प्रतिष्ठानों में उच्च स्तर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। एमओपीएंडएनजी के तकनीकी निदेशालय के रूप में ओआईएसडी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राष्ट्र को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण तेल गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि ये इसकी पात्र है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020

अध्याय – चार
टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

सिफारिश सं. 2

अधिक लाभार्थियों के साथ पीएमयूवाई के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता

समिति नोट करती है कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दवारा वर्ष 2015 के दौरान शुरू की गई प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे वित्त वर्ष 2016-17 से शुरू करके तीन वर्ष में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 तक लक्ष्य को संशोधित कर आठ करोड़ कर दिया गया था। समिति नोट करती है कि मंत्रालय/ओएमसीजी में सितंबर, 2019 तक आठ करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में, समय से पहले निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय/ओएमसीजी के प्रदर्शन से संतुष्ट होने के बाद, समिति को लक्ष्यों के आकलन के बारे में संदेह है। समिति नोट करती है कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस योजना के तहत 2724 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय को स्थिति का अधिक तर्कसंगत और यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए और संसाधनों का अनुकूलन करने और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लक्ष्यों को समझदारी से निर्धारित करना चाहिए। समिति ने आगे कहा है कि मंत्रालय/ओएमसी को अपनी प्रशंसा से यहीं रुक जाना नहीं चाहिए और समिति सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आगे एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पूरे धन का उपयोग किया जाना चाहिए।

समिति ने ओएमसी द्वारा किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सरकार से पीएमयूवाई योजना के दायरे में शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को शामिल करने की योजना को व्यापक बनाने का आग्रह किया। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अब सभी पात्र परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

`तेल विपणन कंपनियां प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के बाद प्रतिपूर्ति के लिए पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) दवारा विधिवत सत्यापित बिल जमा करती हैं। सरकार ने पहले ही पीएमयूवाई के तहत लक्ष्य हासिल कर लिया है। पीएमयूवाई के तहत निधि के उपयोग की तुलना में वर्षवार बजट आवंटन निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रूपए में)	निधि की प्रतिपूर्ति (करोड़ रूपए में)
2016-17	2,500	2,500
2017-18	2,251	2,251
2018-19	3,200	3,200
2019-20	2,724*	2,724

* वित्त वर्ष 2019-20 में 2724 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के अलावा वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान में पीएमयूवाई के लिए 2118 करोड़ रूपए की मांग के तहत 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि की भी प्रावधान किया है।

एलपीजी कनेक्शन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी वितरकों को नए एलपीजी कनेक्शन के लिए किसी भी अनुरोध को तुरंत पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020
समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय-एक का पैरा सं. 10 देखें)

सिफारिश सं. 3

एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बढ़ाने के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता

समिति नोट करती है कि मंत्रालय/सार्वजनिक उपक्रमो ने पीएमयूवाई योजना के कार्यान्वयन के साथ देश में एलपीजी कवरेज को 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। समिति ने आगे कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर का राष्ट्रीय औसत रिफिल खपत 6.25 सिलेंडर प्रति वर्ष है। तथापि, यह देखा गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी सिलेंडर की औसत रिफिल खपत पिछले एक साल के दौरान 3.08 सिलेंडर है। समिति को बताया गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा कम रिफिल खपत औसत व्यवहार परिवर्तन और कम माँग के समायोजन के कारण हो सकती है। पीएमयूवाई लाभार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, समिति का कहना है कि 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 650/- रुपए का भुगतान भी कम रिफिल औसत का एक कारण हो सकता है। योजना के उददेश्य को पूरा करने और एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने के लिए, समिति का सुझाव है कि मंत्रालय को उच्च राजसहायता के साथ एक अलग योजना पर विचार करना चाहिए ताकि रसोई गैस सिलेंडर पीएमयूवाई लाभार्थियों के

लिए सस्ते हो जाएं। समिति यह भी चाहती है कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को एलपीजी सिलिंडर के छोटे आकार जैसे 2 किग्रा, 3 किग्रा और 5 किग्रा के सिलेंडर शुरू करना चाहिए ताकि पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर का उपयोग बढ़ाने के लिए पोत्साहित किया जा सके और योजना के उद्देश्य को वास्तव में पूरा किया जा सके। इसके अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पैकेज की कीमत 14.2 किग्रा के सिलेंडर के लिए 650 रुपए है ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

पीएमयूवाई लाभार्थियों हेतु रसोई गैस सिलेंडर अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार ने राजसहायता योजना को संशोधित किया है । पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए दिल्ली मे एक 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर का वर्तमान (जनवरी, 2020) प्रभावी मूल्य 535.34 रूपए है। इसके अलावा, पीएमयूवाई ग्राहकों को 5 किलोग्राम सिलेंडर के साथ एलपीजी कनेक्शन लेने का विकल्प दिया गया है, साथ ही 14.2 किलोग्राम के बदले मे 5 किलोग्राम सिलेंडर लेने का विकल्प भी दिया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. जी-38011/36/2019-वित्त-एक दिनांक 09.03.2020
समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय-एक का पैरा सं. 13 देखें)

अध्याय-पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;

5 फरवरी, 2021

16 माघ, 1942 (शक)

रमेश बिधूड़ी

सभापति,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध-एक

कार्यवाही सारांश
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

आठवीं बैठक
(05.02.2021)

समिति की बैठक शुक्रवार, 5 फरवरी, 2021 को 1400 बजे से 1430 बजे तक समिति कक्ष '3', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रमेश विधूड़ी - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती चिंता अनुराधा
3. श्री गिरीश चन्द्र
4. श्री रोडमल नागर
5. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
6. श्री चन्द्र शेखर साहू
7. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
8. श्री लल्लू सिंह
9. श्री विनोद कुमार सोनकर
10. श्री अजय टम्टा
11. श्री राजन बाबुराव विचारे

राज्य सभा

12. श्री नारायण दास गुप्ता
13. श्रीमती कान्ता कर्दम
14. श्री कनकमेदला रविन्द्र कुमार
15. डॉ. भागवत कराड़

सचिवालय

1. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी - अपर सचिव
2. श्री एच. राम प्रकाश - निदेशक
3. श्री विनय प्रदीप बरवा - उप सचिव
4. श्री मोहन अरुमाला - अवर सचिव

2. सर्वप्रथम माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) विषयक समिति के पहले प्रतिवेदन में (17वीं लोक सभा) प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया और बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

3. XX XX XX XX XX XX

4. तत्पश्चात समिति ने सभापति को संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने/रखने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

XX मामला विषय से संबंधित नहीं है।

<u>अनुबंध-दो</u>

(देखिए, प्राक्कथन का पैरा-चार)

अनुदानों की मांगें (2019-20) से संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	14
दो.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (देखिए, सिफारिश सं.1,4,5,6,7,8,10,11,12,13 और 14)	11
	कुल का प्रतिशत	78.58%
तीन.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: (देखिए, सिफारिश सं. 9)	01
	कुल का प्रतिशत	7.14%
चार.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है: (देखिए, सिफारिश सं. 2 और 3)	02
	कुल का प्रतिशत	14.28%
पांच.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: (देखिए, सिफारिश सं. शून्य)	*शून्य*
	कुल का प्रतिशत	0%